

अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2014
(आयकर)

का.आ. 3244(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्द्वारा, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की दिनांक 26 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना, जिसे का.आ. 1615(अ), दिनांक 26 सितम्बर, 2006 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, कॉलम (4) में-

- (i) शब्द और कोष्ठक “(रामनगर जिले से भिन्न” के स्थान पर कोष्ठक और शब्द “(जिलों से भिन्न” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) कोष्ठक और शब्द “(कोलार, चिक्काबल्लापुर, रामनगर” के स्थान पर कोष्ठक और शब्द “(कोलार, चिक्काबल्लापुर जिलों से भिन्न” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

[अधिसूचना संख्या 83/2014/फा. सं. 187/19/2014-आयकर नि-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक